


डॉ. के. चौधरी
 4 नो. एन.
 कुरुक्षेत्र



उद्योग प्राविधिक विश्वविद्यालय
 आइ०ई०टी० पारसर, गीतापुर रोड, लखनऊ-226021
 टेलीफोन 0522-2732194
 फैक्स 0522-2732185

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 517

दिनांक 15.05.2015

DIRECTOR
 CURRICULUM & QUALITY OF MANAGEMENT, KURUKSHETRA

विषय: अधिसूचना सं. 2015-16 की अस्थापना सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष ने मुझ यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प० शास्त्र की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश के अन्तर्गत 2015-13/5V2015- दिनांक 15.05.2015 को निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 10(2) के अधीन नए कार्यक्रमों से अनुमोदन की प्रत्याशा में अस्थापना के निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

Sl. No.	Branch Name	1st Shift	2nd Shift
	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	120	0

संश्लेषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदित सं. 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थापना सम्बद्धता की प्रत्याशा में प्रवेश की जाती है।

1. प्रस्तावित अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ०प्रा० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यकतयुक्त, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकटो अनुयात, रैगिड निरायक तथा विश्वविद्यालय/उ०प० शिक्षक श्रेणियों द्वारा संस्था में विद्यमान नू. एन.टी. की नई तकनीकी/तकनीकी को पूर्ण करवा अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को अस्थापना सम्बद्धता स्वतः विरस्त सम्बद्धता प्राप्त, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधन का होगा।
2. शिक्षण माडल द्वारा अन्य परिस्थितियों के तात्कालिक संस्था के लेखा का जाडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम/समा.प्रा.सं./सं.प्रा.सं./सं.प्रा.सं. के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आरिफिसेस का पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों की दृष्टि से एवं अभावतः, नो.प्रा.सं., सं.प्रा.सं. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय/उ०प० प्रवेश के प्रदान अस्थापना सम्बद्धता स्वतः विरस्त सम्बद्धता जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधन का होगा।

संस्था को नियमित रूप से निरीक्षण करके उचित सुझावों के माध्यम से सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा मानकपूर्ण आवेदन के माध्यम से अपनी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी सूचनाओं को प्रस्तुत करने तथा सूचनाओं की सतहों की सतहों में किसी भी प्रकार की वृद्धि शासनातिशेखविश्वविद्यालय के संचालन में आती है तो संस्था में प्रदत्त सम्बद्धता सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

3. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पदान्तर विधिवत 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा पूर्णतः पालन किया जायेगा। संस्था की स्थिति में सम्बद्धता सम्बद्धता करने की कार्यवाही की जायेगी।

4. संस्था में एक पद के अन्दर संस्था में निर्देशक/पाठ्याय एवं जनसंख्या शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित सम्बद्धता अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

5. संस्था के निर्देशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिनांक) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिया जाए, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी है। (अध्याय-6.15)

6. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (न्यूनतम दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करनी है। (अध्याय-6.15)

7. शैक्षणिक एवं शिष्टाचार स्टाफ के वेतन का अग्रहण निवृत्त रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय-6.25b)

8. संस्था एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी प्रस्तुत करनी है। (अध्याय-6.13)

9. संस्था की समस्त सूचनाएँ संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करनी है। (अध्याय-6.15)

10. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य प्रकाशित की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

11. उचित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

12. संस्था में पायी गयी कमियों का पाठ्याय विश्वविद्यालय द्वारा औचित्य निरीक्षण करनी भी किया जा सकता है।

13. संस्था का शैक्षणिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उचित आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता सम्बद्धता करने की कार्यवाही की जा सकती है।


14. जिन संस्थाओं की अक्षातशेष एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।

15. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) प्राधान्य, 2006 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता सम्बद्धता करने की कार्यवाही की जायेगी।


16. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस विवरण निर्दिष्ट दस्तावेजों में निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता सम्बद्धता करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

17. AMS (Academic Monitoring System) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिचय संख्या: 30940पाठ्याय/कुसा0का0/2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी।

18. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यभार प्रदान करके सुनिश्चित करेगी। कतिपय कारणों/कारणों पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अप्रत्याशित रूप से अनुपालन में विघटन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/अध्ययन का होगा।

भवदीय,

(क. के. वोहरा)
कुलसचिव

- 1. संस्था के निर्देशक को सूचित करने के लिए उपरोक्त
- 2. संस्था के निर्देशक को सूचित करने के लिए उपरोक्त
- 3. संस्था के निर्देशक को सूचित करने के लिए उपरोक्त
- 4. संस्था के निर्देशक को सूचित करने के लिए उपरोक्त
- 5. संस्था के निर्देशक को सूचित करने के लिए उपरोक्त


(क. के. वोहरा)
कुलसचिव